[1][**प्ररूप सं. 34घ**

[नियम 44ङ देखें]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 245थ (1) के अधीन निवासी आवेदक द्वारा अनिवासी आवेदक के साथ किए गए या किए जाने के लिए प्रस्तावित संव्यवहार के संबंध में अग्रिम विनिर्णय प्राप्त करने के लिए आवेदन का प्ररूप

(कृपया, अग्रिम विनिमय के लिए बोर्ड के समक्ष इस प्ररूप को भरने से पहले सावधानीपूर्वक टिप्पणियों को पढ़ें)

1.	आवेदक का पूरा नाम और पता	
2.	टेलीफोन, फैक्स नं. और ई-मेल पता	
3.	प्रास्थिति	
4.	आवेदक पर अधिकारिता रखने वाला आयुक्त और निर्धारण अधिकारी	
5.	स्थायी खाता संख्या या आधार संख्या, यदि लागू हो	
6.	ऐसे अनिवासी की विशिष्टियां, जिसके साथ संव्यवहार किया गया है या किया जाना प्रस्तावित है	
	(क) अनिवासी का नाम	
	(ख) अनिवासी का पता	
	(ग) ग्राम्य निवास	
	(घ) अनिवासी की टैलीफोन और फैक्स संख्या	
	(ङ) अनिवासी का स्थायी खाता संख्या (यदि आबंटित किया गया हो)	
	(च) करदाता रजिस्ट्रीकरण संख्या या करदता पहचान संख्या/ उस देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र जिसका निवासी होने का दावा किया जाता है, की सरकार द्वारा अनिवासी की पहचान के लिए प्रयुक्त	

1. आय–कर (नौवाँ संशोधन) नियम, 2023 द्वारा **12.6.2023** से प्रतिस्थापित।

	कोई कृत्यकारी समतुल्य या अन्य विशिष्ट संख्या	
(छ)	अनिवासी की अव्यवहित मूल कंपनी का नाम	
(ज)	अनिवासी की अव्यवहित मूल कंपनी का पता	
(झ)	अनिवासी की अव्यवहित मूल कंपनी का ग्राम्य निवास	
(ञ)	अनिवासी की अव्यवहित मूल कंपनी का स्थायी खाता संख्या (यदि आबंटित किया गया हो)	
(ट)	करदाता रजिस्ट्रीकरण संख्या या करदता पहचान संख्या/कृत्यकारी समतुल्य या उस देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र जिसका निवासी होने का दावा किया जाता है, की सरकार द्वारा अनिवासी की अव्यवहृत मूल कंपनी की पहचान के लिए प्रयुक्त कोई अन्य विशिष्ट संख्या	
(ठ)	अनिवासी की अंतिम मूल कंपनी का नाम	
(ड)	अनिवासी की अंतिम मूल कंपनी का पता	
(ढ)	अनिवासी की अंतिम मूल कंपनी का ग्राम्य निवास	
(ण)	अनिवासी की अव्यवहित मूल कंपनी का स्थायी खाता संख्या (यदि आबंटित किया गया हो)	
(त)	करदाता रजिस्ट्रीकरण संख्या या करदता पहचान संख्या/ उस देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र जिसका निवासी होने का दावा किया जाता है, की सरकार द्वारा अनिवासी की अंतिम मूल कंपनी की पहचान के लिए प्रयुक्त कोई कृत्यकारी समतुल्य या अन्य विशिष्ट संख्या;	

7.	दावे का आधार यह कि क्रम संख्यांक 6 में निर्दिष्ट व्यक्ति जिससे संव्यवहार किया गया है या किया जाना प्रस्तावित है, अनिवासी है	
8.	किए गए संव्यवहार या किए जाने के लिए प्रस्तावित संव्यवहार जिस पर अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है, से संबंधित विधि या तथ्य का प्रश्न	
9.	क्या मद सं. 8 में निर्दिष्ट संव्यवहार राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय महत्व की किसी घटना से संबंधित है?	

10. यदि हां, तो उस घटना का नाम	
11. मद सं. 8 में निर्दिष्ट प्रश्न(प्रश्नों) पर प्रभाव डालने वाले सुसंगत तथ्यों का विवरण	
12. उपरोक्त प्रश्नों की बाबत आवेदक का यथास्थिति विधि या तथ्यों के निर्वचन को अंतर्विष्ट करने वाला विवरण	
13. संलग्न दस्तावेजों या विवरणों की सूची	
14. आवेदन से संलग्न फीस के संदाय के ब्यौरे, जैसे कि संव्यवहार संदर्भ सख्या/ चालान पहचान संख्या/संदाय पहचान संख्या आदि	

.....

(आवेदक)

सत्यापन

मैं, ... पुत्र/पुत्री/पत्नी [पूरा और बड़े अक्षरों में नाम] सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त और उपाबद्ध (उपाबंधों), जिसके अंतर्गत ऐसे उपाबंध(उपाबंधों) से संलग्न दस्तावेज भी हैं, के विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि मैं ----------(पदनाम) की क्षमता में यह आवेदन कर रहा हूं और मैं यह आवेदन करने के लिए सक्षम हूँ और इसका सत्यापन करता हूँ

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि ऐसा प्रश्न जिस पर अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है, मेरे मामले में किसी आय-कर प्राधिकारी, अपीली अधिकरण या किसी न्यायालय के समक्ष लंबित नहीं है ।

आज तारीख.....को सत्यापित किया गया है ।

_____

(आवेदक)

स्थान.....

टिप्पण:

1. आवेदन अंग्रेजी या हिंदी में भरा जाएगा।

2. आवेदन के साथ नियम 44ङ के उपनियम (4) के अनुसार नई दिल्ली में संदेय अग्रिम विनिर्णय बोर्ड के पक्ष में दी गई लागू फीस के संदाय का सबूत संलग्न होगा । संदाय के ब्यौरे मद संख्या 14 के प्रत्युत्तर में दी जाएगी।

3. मद संख्या 3 के प्रत्युत्तर में आवेदक यह कथन करेगा कि वह या तो व्यष्टि, अविभक्त हिंदू कुटुंब, फर्म, व्यक्तियों का संगम या कंपनी है।

4. मद सं. 6 के लिए उत्तर आय-कर अधिनियम की धारा 6 में यथाअन्तर्विष्ट भारत में 'निवास' से संबंधित उपबंधों के सदंर्भ में दिया जाए। इस संबंध में स्थिति निम्नानुसार है किसी व्यक्ति को किसी वित्तीय वर्ष में 'निवासी' तब कहा जाता है, जब यदि वह उस वर्ष के दौरान निम्नानुसार भारत में रहा है ।

किसी व्यक्ति को किसी वित्तीय वर्ष में 'निवासी' तब कहा जाता है, जब यदि वह उस वर्ष के दौरान निम्नानुसार भारत में रहा है:-

- 182 दिन या अधिक की अवधि या अवधियों के लिए; या

- 60 दिन या अधिक की अवधि या अवधियों के लिए और वह पूर्ववर्ती चार वर्षों में 365 दिन या अधिक की अवधि या अवधियों के लिए भी भारत में रहा है।

तथापि, किसी भारत के नागरिक या कोई भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत के बाहर रह रहा है और भारत भ्रमण के लिए आता है या जब कोई भारत का नागरिक भारत के बाहर नियोजन के प्रयोजन के लिए या किसी भारतीय पोत के कर्मीदल के सदस्य के रूप में भारत छोड़ता है, की दशा में साठ दिनों की अवधि को बढाकर एक सौ बयासी दिन कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, या भारतीय मूल का व्यक्ति है, जो भारत के बाहर है और भारत भ्रमण के लिए आता है तो उपर्युक्त उल्लिखित साठ दिन की अवधि को बढ़ाकर एक सौ बीस दिन कर दिया गया है, यदि सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान ऐसे व्यक्ति की कुल आय विदेशी स्रोतों से आय के सिवाय पंद्रह लाख से अधिक है।

इसके अतिरिक्त, उपरोक्त उल्लिखित दशाओं पर विचार के बिना कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, जिसकी कुल आय विदेशी स्रोतों से आय के सिवाय, पंद्रह लाख से अधिक है, निवासी समझा जाएगा यदि वह अपने अधिवास या निवास या किसी अन्य मानदंड के कारण किसी देश या संघ राज्य क्षेत्र में कर के लिए दायी नहीं है।

कोई व्यक्ति-संगम या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या फर्म प्रत्येक दशा में भारत में निवासी है सिवाय वहां के जहां उसके कार्यों का नियंत्रण और प्रबंध पूर्णतया भारत के बाहर स्थित है।

कोई कंपनी भारत में निवासी है, यदि यह कोई भारतीय कंपनी है या उसके कार्यों का प्रभावी प्रबंध भारत में स्थित है।

ऐसा कोई व्यक्ति, जो उपरोक्तानुसार भारत में निवासी नहीं है, भारत में अनिवासी है।

5. मद सं. 8 के संबंध में, प्रश्न, वास्तविक या प्रस्थापित संव्यवहारों पर आधारित होना चाहिए (होने चाहिएं) । परिकल्पित प्रश्नों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

6. मद सं. 11 के संबंध में, उपाबंध 1 में, आवेदक सुसंगत तथ्यों को ब्यौरेवार बताए और अपने कारबार या वृत्ति की प्रकृति और प्रस्थापित संव्यवहारों की संभावित तारीख और प्रयोजन को भी प्रकट करे। आवेदन के साथ प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों में प्रदर्शित सुसंगत तथ्यों को, तथ्यों के विवरण में सम्मिलित किया गया हो, न कि मात्र निर्देश द्वारा समाविष्ट किए गए हो।

7. मद सं. 12 के लिए, उपाबंध 2 में, आवेदक उस प्रश्न (उन प्रश्नों) की बाबत, जिस (जिन) के संबंध में अग्रिम विनिर्णय चाहा गया है, विधि या तथ्यों के अपने निर्वचन का स्पष्टरूप से उल्लेख करेगा ।

8. आवेदन, उससे उपाबद्ध सत्यापन, आवेदन के लिए उपाबंधों और उपाबंधों के साथ दिए जाने वाले निम्नलिखित विवरणों और दस्तावेजों को,-

(क) व्यष्टि की दशा में,--

(I) हस्ताक्षर या डिजिटल रूप से,-

(i) व्यष्टि के स्वयं के द्वारा; और

(ii) जहां किसी अपरिहार्य कारण से किसी व्यष्टि के लिए आवेदन पर हस्ताक्षर करना संभव नहीं है, तो इस संबंध में उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा; या

परंतु उपखंड **(ii)** में निर्दिष्ट दशा में, आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति ऐसा करने के लिए व्यष्टिक से विधिमान्य मुख्तारनामा धारित करेगा, जो आवेदन से संलग्न होगा; और

(II) उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा;

(ख) अविभक्त हिंदू कुटुंब की दशा में,–

(I) हस्ताक्षर या डिजिटल रूप से,-

(i) कर्ता के स्वयं के द्वारा; और

(ii) जहां किसी अपरिहार्य कारण से किसी कर्ता के लिए आवेदन पर हस्ताक्षर करना संभव नहीं है, ऐसे कुटुंब के किसी अन्य व्यस्क सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा; और

(II) उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा;

(ग) कंपनी की दशा में,–

(I) हस्ताक्षर या डिजिटल रूप से,-

(i) उसके प्रबंध निदेशक द्वारा या जहां किसी अपरिहार्य कारण से ऐसा प्रबंध निदेशक आवेदन पर हस्ताक्षर करने और सत्यापन करने में समर्थ नहीं है या उसका कोई प्रबंध निदेशक नहीं है, वहां उसके किसी निदेशक द्वारा; या

(ii) जहां किसी अपरिहार्य कारण से किसी प्रबंध निदेशक या निदेशक के लिए आवेदन पर हस्ताक्षर करना संभव नहीं है, वहां इस संबंध में कंपनी द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा, हस्ताक्षरित किया जाएगा:

परंतु उपखंड (ii) में निर्दिष्ट दशा में आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति ऐसा करने के लिए कंपनी से विधिमान्य मुख्तारनामा धारित करेगा, जो आवेदन से संलग्न होगा; और

(II) उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा;

(घ) फर्म की दशा में,–

(I) हस्ताक्षर या डिजिटल रूप से,-

(i) प्रबंध भागीदार के स्वयं के द्वारा; या

(ii) उसके प्रबंध भागीदार द्वारा या जहां किसी अपरिहार्य कारण से ऐसा प्रबंध भागीदार आवेदन पर हस्ताक्षर करने और सत्यापन करने में समर्थ नहीं है या उसका कोई प्रबंध भागीदार नहीं है, वहां उसके किसी भागीदार द्वारा, जो अवयस्क न हो, हस्ताक्षरित किया जाएगा; और

(II) उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा;

(ङ) व्यक्तियों के संगम की दशा में,-

(I) संगम के किसी सदस्य द्वारा या उसके प्रधान अधिकारी द्वारा से हस्ताक्षरित या डिजिटल रुप से हस्ताक्षरित है; और

(II) उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा;

(च) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में,-

(I) उस व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से कार्य करने के लिए सक्षम किन्हीं व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित या डिजिटल रुप से हस्ताक्षरित किया जाएगा; और

(II) उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा;

उपाबंध 1

उन सुसंगत तथ्यों का विवरण जिनका उन प्रश्नों(उस प्रश्न) से संबंध है जिन पर अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है

.....

.....

.....

स्थान..... *(आवेदक)*

तारीख.....

उपाबंध 2

प्रश्न, जिस पर/जिन पर अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है, की बाबत् आवेदक के यथास्थिति, विधि या तथ्यों के निर्वचन को अतर्विष्ट करते हुए कथन

.....

.....

..... हस्ताक्षरित

स्थान..... *(आवेदक)*

तारीख.....

]